आनन्द कुमार
आई0पी0एस0

परिपत्र संख्याः डीजी– 01 /2018

अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था
उत्तर प्रदेश
1–तिलकमार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकः जनवरी 16 2018

प्रिय महोदय,

आप समस्त इस तथ्य से भली–भांति अवगत है कि द0प्र0सं0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाने से पूर्व वाद–दैनिकी (case dairy) अथवा उसकी प्रति मा0 न्यायालय के अतिरिक्त अभियुक्त या किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है, परन्तु संज्ञान में आया है कि प्रायः वाद–दैनिकी की प्रति अभियुक्त को अत्यन्त आसानी से उपलब्ध हो जाती है और उनके द्वारा वह अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्नकर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है।

इसी प्रकार का एक मामला जनपद गाजियाबाद के थाना मुरादनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 1002/2017 अन्तर्गत 394 आई0पी0सी0 से सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका(क्रि0)सं0–28994/2017 काली जैन @ जितेन्द्र जैन प्रस्तुत हुआ, जिसमें अभियुक्त के प्रार्थना–पत्र के साथ वाद–दैनिकी की प्रतिलिपि भी संलग्न की गयी है। इस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता को आदेशित किया है कि वह मा0 न्यायालय को अवगत करावें कि वाद–दैनिकी की प्रति अभियुक्त को कैसे प्राप्त हुई ? पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित श्री ए. के. सन्द, अपर शासकीय अधिवक्ता, प्रथम मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांकित 12.01.2018 के मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

The Hon'ble Court expressed its view that under the scheme of Cr.P.C., the accused has no right to get the photocopy of case diary prior to the stage of taking cognizance by the learned court below and prior to his appearance before the learned court below; especially in view of section 207 of Cr.P.C. for the reason that the case diary of any criminal case (especially in the eventuality of pending investigation) is a privilege communication between the investigating officer and concerned learned Magistrate and as such, the Hon'ble Court has directed the counsel for the petitioner to file an affidavit disclosing the source of obtaining the aforesaid docuements, which has been annexed as annexure no.2 (i.e.photocopy of the parcha of case diary containing statement of Naushad Ali recorded under section 161 of Cr.P.C).

The Hon'ble Court has also directed the State counsel to seek necessary instruction as to how the photocopy of the case diary has been supplied or availed by the petitioner during the course of investigation. (A copy of the order dated 02-01-2018 is enclosed with this letter.)

द0प्र0सं0, विशेषतया धारा 207 के प्राविधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचनाधीन अपराधिक मामलों में वाद–दैनिकी की अन्तर्वस्तु विवेचनाधिकारी एवं मा0 न्यायालय के मध्य विशेषाधिकार प्राप्त संचार का विषय है। मा0 न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाने से पूर्व अभियुक्त या किसी अन्य व्यक्ति को केस डायरी की छायाप्रति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। विवेचनाधिकारी द्वारा अपने उच्चाधिकारियों, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अथवा मा0 न्यायालय के अतिरिक्त वाद–दैनिकी के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई सूचना प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

मा0 न्यायालय अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा आहूत किये जाने पर विवेचनाधिकारी को अभियोगों की वाद–दैनिकी सदैव सील्ड लिफाफे में प्रस्तुत करनी चाहिए। यथासंभव विवेचनाधिकारी को अपने द्वारा विवेचित अभियोग की वाद–दैनिकी स्वयं मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए तथा उक्त वाद–दैनिकी स्वयं अथवा सील्ड लिफाफे में ही मा0 न्यायालय से प्राप्त करनी चाहिए।

आप समस्त से अपेक्षा है कि आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भली–भॉति अवगत करा दे कि वाद–दैनिकी अथवा उसकी प्रति किसी अन्य व्यक्ति को कदापि प्रदान न करें और न ही खुली वाद–दैनिकी मा0 न्यायालय अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करें। इस तथ्य की चर्चा अपराध गोष्ठी में करके मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करावें।

भवदीय
16/1/18
(आनन्द कुमार)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0।
2– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0।
3– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
4– कार्यालय प्रति।